

(राजस्थान-सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारों (राज.)

पीठासीन अधिकारी बृजमोहन बैरवा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 34 / 2021

रजिस्ट्रेशन सं० :- 2021 / 233

बउनवान

राज० सरकार जयें खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारों
(प्रार्थी)

बनाम

1. श्री महेन्द्र कुमार पुत्र घनश्याम लाल नामा जाति नामा निवासी जैन मन्दिर के सामने, सीसवाली, जिला बारों(मौके पर मौजूद विक्रेता एवं मालिक) मैसर्स पवनसुत प्रोविजन स्टोर, अन्ता रोड, सीसवाली जिला बारों
2. श्रीमती कमला बाई पत्नि श्री रणजीतमल निवासी मकान नं. J-6-a, Block-j, Jawahar Nagar, Dadabari Kota-324009(निर्माता फर्म) मैसर्स आशी टी ट्रैडर्स, जीवन कटला, शिवाजी बाजार, कोटा-324006

(अप्रार्थीगण)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (11) एफएसएस एक्ट 2006 एवं विनियम 2011

उपस्थिति :- 1- श्री अरुण सक्सेना खा.सु.अ.

(प्रार्थी)

2- श्री ओम भारद्वाज अभिभाषक

(अप्रार्थीगण)

निर्णय दिनांक 11.01.2022

प्रकरण राजस्थान सरकार जयें खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारों द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 24.02.2021 को मैसर्स पवनसुत प्रोविजन स्टोर, अन्ता रोड, सीसवाली जिला बारों पर पहुंचा। वहाँ पर श्री महेन्द्र कुमार पुत्र घनश्याम लाल नामा(मौके पर मौजूद विक्रेता एवं मालिक) की हैसियत से उपस्थित था, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया गया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 24.02.2021 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारों में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा था और उसे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक/एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 25.07.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश क्रमांक 1041 दि. 31.12.2020 के अनुसार उनको कार्य क्षेत्र जिला बारों आवंटित किया गया है और जिला बारों के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र उनके कार्य क्षेत्र में आते हैं।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया जहाँ पर खाद्य पदार्थ चायपत्ती (Asha VIP Sona)250 ग्राम 25 नग आम जनता को विक्रय हेतु रखी हुई थी। मैंने अपना पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता से मौके पर खाद्य पदार्थ चायपत्ती (Asha VIP Sona)250 ग्राम में मिलावटी का शक होने पर नमूना लेने हेतु विक्रेता को अवगत कराया गया तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं० 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारों द्वारा खाद्य पदार्थ चायपत्ती(Asha VIP Sona)250 ग्राम के 08 पोलीपैक वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदी, जिसकी कीमत श्री महेन्द्र कुमार पुत्र घनश्याम लाल नामा (मौके पर मौजूद विक्रेता एवं मालिक) को 800/- रुपये (अक्षरे आठ सौ रुपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर हैं तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ चायपत्ती(Asha VIP Sona)250 ग्राम की 08 पोलीपैक को चार नमूना भागों में कर प्रत्येक 02 पोलीपैक के मूल पैकेट पर ही लेबल तैयार कर लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूने भाग पर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक ए.एच.-1160 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग-अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर डी.ओ. बारों की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एच.-1160 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक फेविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्टे में लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री महेन्द्र कुमार पुत्र घनश्याम लाल नामा ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं एक प्रति फार्म नं0 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में स्वयं द्वारा खाद्य विश्लेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारों को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारों के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2020/64 दिनांक 08.03.2021 से ज्ञात हुआ कि जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 96/PHL/Kota/Act/ 2021/132 दिनांक 05.03.2021 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किये गये खाद्य पदार्थ चायपत्ती(Asha VIP Sona)250 ग्राम खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के तहत मिथ्याछाप (Mis Branded) होना पाया गया। रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने अनुसंधान हेतु मैसर्स पवनसुत प्रोविजन स्टोर, अन्ता रोड, सीसवाली जिला बारों से पत्रांक 203 दिनांक 07.07.2021 से सूचना चाही। मैसर्स पवनसुत प्रोविजन स्टोर, अन्ता रोड, सीसवाली जिला बारों द्वारा प्रतिउत्तर में खाद्य अनुज्ञा पत्र एवं फर्म मालिक आधार कार्ड की प्रति कार्यालय में पेश की गई।

इस पर प्रकरण दिनांक 02.08.2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थी को जर्ज रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा जर्ज अभिभाषक उपस्थिति दी गई है। प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत न कर अंतिम बहस सुनी जाने हेतु निवेदन करने पर अप्रार्थीगण का जवाब बन्द किया जाकर प्रकरण में उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

राजस्थान सरकार जयें प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारां ने परिवार में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा जिस खाद्य पदार्थ चायपत्ती(Asha VIP Sona)250 ग्राम को वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया था, वह जांच रिपोर्ट में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के तहत मिथ्याछाप (Mis Branded) होना पाया गया। अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(11) एवं बिना खाद्य अनुज्ञा पत्र/रजिस्ट्रेशन के खाद्य पदार्थ विक्रय करने पर उप धारा 2 (v) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम, 2011 की धारा 52 एवं धारा 58 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

अप्रार्थीगण के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस कहा गया कि अप्रार्थीगण के द्वारा खाद्य पदार्थ में कोई मिलावट नहीं की गई है और न ही चायपत्ती के पैकेट पर किसी प्रकार की भ्रामक/गलत प्रिंटिंग की गई है। जिससे कि मिथ्याछाप का प्रकरण माना जावे। अप्रार्थीगण के विरुद्ध संस्थित परिवार खारिज फरमाया जावे।

प्रकरण में उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई और पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया कि अप्रार्थीगण से वास्ते नमूना जांच हेतु कय किया गया खाद्य पदार्थ चायपत्ती(Asha VIP Sona)250 ग्राम खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 96/PHL/kota/Act/2021/132 दि. 05.03.2021 के अनुसार, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के तहत मिथ्याछाप (Mis Branded) होना पाया गया। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम, 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (11) एवं बिना खाद्य अनुज्ञा पत्र/रजिस्ट्रेशन के खाद्य पदार्थ विक्रय करने पर उप धारा 2 (v) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 52 एवं धारा 58 के तहत अप्रार्थी क्रम 1 को राशि 5000/- रुपये एवं अप्रार्थी क्रम 2 को राशि 5,000/- रुपये पत्रावली में कुल जुर्माना राशि 10,000/- रुपये (अक्षरे दस हजार रुपये) के आर्थिक जुर्माना राशि के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थी उक्त जुर्माना राशि ई-मित्र सेवा केन्द्र से चालान निकलवाकर, जयें चालान बैंक में निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय में अन्दर एक माह प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 11.01.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजमोहन बैरवा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट, बारां (राज.)